न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0

अपील सं0 01/2023 रसद

ग्राम सेवा सहकारी समिति नांगल बैरसी उचित मूल्य दुकान जरिये व्यवस्थापक दीनदयाल मीना नांगल बैरसी जी.एस.एस. तहसील दौसा जिला दौसा

.....अपीलांट

विरूद्ध

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी दौसा

.... रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 02.02.2021 अभियोग संख्या 1/ 20 जिला रसद अधिकारी दौसां

उपस्थित–1. श्री द्वारका प्रसाद शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट(अनुपस्थित)

2. श्रीमती सूरज बाई मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 30.7.2025

1. अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 2.2.2021 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसके अनुसार अपीलान्ट ग्राम सेवा सहकारी समिति नांगल बैरसी उचित मूल्य दुकान अपीलान्ट के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा निराधार आरोप सिद्ध मानते हुए बेजा अवैधानिक रूप से अपीलान्ट द्वारा जमा शुदा संपूर्ण प्रतिभूति राशि 250/–रूपये जब्त सरकार करते हुए डीलर को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया एवं गैहू 58.76 क्विंटल की राशि 132210/–रूपये एवं 220 किलोग्राम चीनी की राशि 3476/–रूपये कुल राशि 135686/–रूपये की वसूली के आदेश जारी फरमाये गये है। जिस पर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी का आदेश दिनांक 02.02.2021 विधि विरूद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा कारण बताओं नोटिस के जवाब पर कतई गौर नहीं किया गया। प्रर्वतन अधिकारी दौसा ग्रामीण द्वारा दिनांक 21.01.2020 को एकतरफा मनमानीपूर्वक किये गये निरीक्षण को सही पूर्ण मानते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है एवं भारी वसूली के आदेश कतई गलत जारी फरमाये गये है जो चलने योग्य नहीं है काबिले निरस्तनीय है। उचित मूल्य दुकान जी. एस. एस. द्वारा सभी उपभोक्ताओं को समय समय पर खाद्य सामग्री का पूर्ण वितरण किया जाता रहा है। अपीलान्ट के विरूद्ध मात्र कयास के आधार पर ही बेजा कार्यवाही की गयी है जो निरस्तनीय किये जाने योग्य है। अपीलान्ट द्वारा अपने स्टॉक का रिकार्ड मुताबिक पूर्ण संधारण किया जाता रहा है। मूल्य एवं स्टॉक सूची प्रदर्शित की गयी थी मात्र राजनैतिकवश दूरभाष सूचना पर [illegible] कार्यवाही को अजांम दिया गया है जो विधिक प्रक्रिया का पालन न किये जाने [illegible] है अतः निरस्तनीय है। अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा मोबाईल बन्द [illegible] प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अपीलान्ट के मोबाईल किसी तकनीकी कमी के अलावा हमेशा चा[illegible] है। मात्र मोबाईल बन्द मानते हुए कार्यवाही किया जाना [illegible]योचित विधिपूर्ण नहीं [illegible] की गरज से काबिले खारिज है। गेहूँ 58.76 क्विं. एवं चीनी 220 किलोग्राम का वितरण नहीं करना

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बताया गया जबकि उक्त गेहूँ, चीनी स्टॉक में उपलब्ध था। उचित मूल्य दुकान जी0एस0एस0 नांगल बैरसी द्वारा जमाशुदा प्रतिभूति राशि 250/–रू0 जब्त कर गेहूँ 58.76 क्विं. मूल्य 132210/–रू0 एवं चीनी 220 किलोग्राम राशि 3476/–रू0 कुल 135686/–रू0 की वसूली के आदेश निरस्त योग्य है। रेस्पों0 द्वारा जिन लोगों से पूछताछ की गई है, उन लोगों से रेस्पों0 द्वारा बहला फुसला कर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे। प्रथम दृष्ट्या तो किसी तरह का कोई गैर कानूनी कार्य आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपीलांट द्वारा नहीं किया गया है। फिर भी यदि श्रीमानजी कहीं कोई तथ्य आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पाते है तो भी अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी को चाहिए था कि संस्था के कार्यों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करती। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश निरस्त योग्य है। अपीलांट के कार्य के लिए तत्कालीन उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा स्टॉक में पाई गई कमीं की पूर्ति करवा दी गई है। एवं अपक्षेपित राशि जमा करवा दी गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश सं0 1/20 दिनांक 2.2.2021 को निरस्त फरमाया जाकर वसूली आदेश राशि 135686/–रू. को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल फरमाया जावे।

4. विभागीय पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया कि प्रवर्तन अधिकारी दौसा के द्वारा उचित मूल्य दुकानदार जी0एस0एस0 नांगल बैरसी का दिनांक 10.1.2020 निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई है

1. दुकान का भौतिक सत्यापन किये जाने पर गेहूँ का स्टॉक 7879 किलोग्राम कम पाया गया।

2. दुकान का भौतिक सत्यापन किये जाने पर चीनी का स्टॉक 193.8 किलोग्राम कम पाया गया।

3. मौके पर दुकान बंद पाई गई। दुकान के बाहर मूल्य सूची व स्टॉक का प्रदर्शन नहीं था।

4. उपभोक्ता जगदीश पुत्र भगवानसहाय को माह नवंबर 2019 का गेहूँ नहीं दिया गया है जबकि ऑनलाईन ट्रांजेक्शन दर्ज है। आप द्वारा भी उपभोक्ता को गेहूँ दिया जाना बाकी बताया है। इसी प्रकार उपभोक्ता श्री लक्ष्मीनारायण को माह अप्रेल व नवंबर 2019 का गेहूं नहीं दिया गया है।

5. मौके पर उपभोक्ताओं प्रभूदयाल, भूराबाई, रामस्वरूप शर्मा, उगन्ती देवी, रामस्वरूप मीना, मीरा देवी, मांगी देवी, लक्ष्मण, गोविन्द, हंसराज, नाथूलाल आदि उपभोक्ताओं ने बताया कि डीलर नियमित रूप से दुकान नहीं खोलता है तथा पर्ची मिनी बैंक कार्यालय से निकालते हैं जबकि वितरण गोदाम से करते है। इससे उपभोक्ताओं को असुविधा होती है।

प्रवर्तन अधिकारी दौसा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 21.1.2020 को जिला रसद कार्यालय दौसा में प्रस्तुत किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 24.1.2020 को अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर जवाब चाहा गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा नोटिस का बिन्दुवार जवाब दिनांक 14.2.2020 को प्रस्तुत किया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा [illegible] के जवाब से संतुष्ठ नहीं होकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 25.6.20[illegible] को निलंबित कर दिया गया। उपभोक्ताओं की ओर से पुनः शिकायत प्रस्तुत [illegible] प्रवर्तन निरीक्षक दौसा द्वारा दिनांक 25.6.2020 को जांच [illegible] अनियमितताएं पाई गई। जिस पर अपहीलांट को पुनः नरेटिस जारी किया गया जिस पर अपीलांट ने दिनांक 18.9.2020 को जवाब प्रस्तुत किया जिसको संतोषजनक नहीं मानते हुए जमाशुदा संपूर्ण अमानत राशि 250/–रू0 जब्त सरकार करते हुए डीलर को जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा डीलर द्वारा गबन किये गये गेहूँ 58.75 क्विं. के भारतीय खाद्य निगम की खुली निर्गन दर 22.5 रूपये प्रति किलोग्राम से 132210/–रू0 220 किलोग्राम चीनी की अंतर राशि 3476/–रू. (प्रचलित खुदरा दर 40 रू0 प्रति किलोग्राम में से 24.20 रू0 कम करके 15.8 रू0 प्रति किलोग्राम की दर से) कुल राशि 135686 रू0 वसूली के आदेश पारित किये गये। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय पूर्ण एवं विधिवत् रूप से पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रवर्तन अधिकारी दौसा द्वारा उचित मूल्य दुकानदार जी0एस0एस0 नांगल बैरसी का दिनांक 10.1.2020 को निरीक्षण किया गया। अपीलांट की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 21.1.2020 को जिला रसद कार्यालय दौसा में प्रस्तुत किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 24.1.2020 को अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी ने दिनांक 14.2.2020 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया जिसको जिला रसद अधिकारी दौसा ने संतुष्ट नहीं होकर डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 6 व 20 का तथा इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्ते संख्या 2, 5, 6, 8, 9, 11, 15 व 17 (ग) का उल्लंघन किये जाने पर जिला रसद अधिकारी दौसा ने उचित मूल्य दुकानदार जीएसएस नांगल बैरसी द्वारा जमाशुदा संपूर्ण प्रतिभूति राशि 250/–रू0 जब्त सरकार करते हुए डीलर को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है तथा डीलर द्वारा गबन किये गये गेहूँ 58.76 क्विं0 एवं 220 किलोग्राम चीनी की कुल देय राशि 135686/–रू0 की वसूली के आदेश पारित किये गये है। अपीलांट द्वारा गबन राशि जमा कराई जा चुकी है। शेष अनियमितताएं गंभीर प्रकृति की नहीं होना दृष्टिगत होता है। हम जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। ग्राम सेवा सहकारी समिति नांगल बैरसी राजकीय संस्था है। अतः संस्था का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्णय की प्रति मय मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:49 IST
Reason: SelfAttested